न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 95/2025 निर्णय दिनांकः 10-4-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/172)

1. कैलाश
2. धापू देवी
3. बजरंगदास
4. बंशीलाल
5. महावीर प्रसाद
6. रूखमा देवी
7. राजू देवी

पिसरान इन्द्रदास जाति साध निवासीगण किलचू तहसील बीकानेर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22—05—2024
उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू

उपस्थितिः—
1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 22—05—2024 जिसके द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि की खातेदारी सनद निरस्त की गई है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थीगण के पिता इन्द्रदास पुत्र मोडदास के भूमिहीन आवंटन आवेदन पर तत्कालीन आवंटन अधिकारी एंव सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 07.02.1984 को चक 26 डीओबीबी में मुरब्बा नंबर 234/22 व मुरब्बा नंबर 234/30 में कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई है। उक्त रकबा डब्बल आवंटन होने से अपीलांटगण के नाम चक 2 सी॰डी॰ में मुरब्बा नंबर किला नंबर 116/10 में किला नंबर 1 से 25 में 25 बीघा अ०क०, मुरब्बा नंबर 116/2 में किला नंबर 5 से 7, 14 से 17, 25 में 8 बीघा अ०क०, मुरब्बा नंबर 116/11 में किला नंबर 1 से 15 में 15 बीघा अ०क०, मुरब्बा नंबर 116/3 में किला नंबर 5, 6 में 2 बीघा अ..50 कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की गई है। अपीलार्थीगण को वादगत भूमि का कब्जा दिया जाकर राजस्व अभिलेखों में अंकन किया जा चुका है तथा अपीलार्थीगण पिता इन्द्रदास के देहान्त होने पर विरासतन वादगत भूमि अपीलार्थीगण के नाम दर्ज अभिलेख हुई है। कालान्तर में वादगत भूमि चक 2 सी.डी. से चक 4 एच०एल०एम० में पैमुद हुई है। अपीलार्थीगण ने तमाम राजकीय राशि खजाना राज जमा करवा दी है। आवंटन शर्तों का पूर्ण पालन करने पर श्रीमान आवंटन अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, बज्जू ने दिनांक 05.02.2024 को वादगत भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। दिनांक 22.05.2024 को किसी व्यक्ति की शिकायत पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, बज्जू ने अपीलार्थीगण को आवंटनशुदा भूमि की खातेदारी सनद को निरस्त कर दिया जो आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने तमाम राजकीय राशि खजाना राज जमा करवा दी है और यदि कोई राशि बकाया है तो वह राशि भी अपीलार्थीगण खजाना राज जमा करवाने को तैयार है, तत्पर है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया गया। वादगत भूमि अपीलार्थीगण के नाम बतौर गैरखातेदार आवंटी काश्तकार दर्ज है तथा अपीलार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त है। अपीलार्थीगण ने तमाम राशि खजाना राज जमा करवा दी है। नियमानुसार अपीलार्थीगण वादगत भूमि के खातेदार हो चुके है। खातेदारी सनद महज एक औपचारिकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है जिससे अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विरूद्ध

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को सबूत, सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जिससे अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 21.03.2025 को अपीलार्थीगण राजस्व अभिलेखों की नकलें लेने हल्का पटवारी के पास गये तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दे दिया। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, बज्जू का आदेश दिनांक 22—05—2024 निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांटस ने अपील विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में उभय पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है। प्रकरण का निस्तारण मियाद के तकनीकी बिन्दू की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना श्रेयस्कर है। अतः अपीलांट का धारा 5

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांटस कि पिता इन्द्रदास पुत्र मोडादास को पुख्ता आवंटन में चक 26 डीओबीबी के मुरब्बा नम्बर 234/22 में किला नम्बर 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 234/30 में किला नम्बर 1 ता 25 कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन शुदा होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त भूमि की एवज में चक 2 सी०डी० में मुरब्बा नंबर किला नंबर 116/10 में किला नंबर 1 से 25 में 25 बीघा अ०क०, मुरब्बा नंबर 116/2 में किला नंबर 5 से 7, 14 से 17, 25 में 8 बीघा अ०क०, मुरब्बा नंबर 116/11 में किला नंबर 1 से 15 में 15 बीघा अ०क०, मुरब्बा नंबर 116/3 में किला नंबर 5, 6 में 2 बीघा अनकमाण्ड कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया।

अपीलांटस द्वारा उक्त आवंटित भूमि की खातेदार प्राप्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19-07-2023 को आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांटस द्वारा आवेदन के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी व तहसील राजस्व लेखाकार से आवंटित भूमि की रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर हल्का पटवारी व तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा खातेदारी की तमाम प्रीमियम राशि कुल 203264/- जरिये चालान संख्या 179 व 180 के द्वारा जमा करवा दिये गये थे। उक्त रिपोर्ट व चालान के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुस्तक संख्या 52 कम संख्या 14 दिनांक 05-02-2024 द्वारा अपीलांटस को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये।

उक्त तमाम कार्यवाही के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08-05-2024 को प्रार्थी अशोककुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलांट का आवंटन नियम विरूद्ध होने के कारण अपीलांट के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन शर्ते 1955) की शर्त संख्या 10 के तहत अपीलांट को जारी खातेदारी अधिकारो का प्रत्याहरण कर लिया।

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन शर्ते 1955) की शर्त संख्या 10 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार " Withdrawal of Khatedari rights (1) Notwithstanding anything hereinbefore contained, the Collector 4(**after giving an opportunity of hearing to the grantee)** may refuse to allow acquisition of Khatedari rights to all or any of the tenants of a Chak or village, if, for reasons to be recorded in writing he finds that :-

इसके अनुसार खातेदारी अधिकारो को विड्रो तब किया जा सकता है जब सभी पक्षकारो को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया हो।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रश्गत आराजी का आवंटन इन्द्रदास पुत्र मोड़दास साध को किया गया है। इन्द्रदास पुत्र मोड़दास साध का स्वर्गवास दिनांक 02–04–1997 को हो चुका है। जिनके कुल सात वारिसान– बजरंग दास (पुत्र), कैलाश (पुत्र) बंशीलाल (पुत्र), महावीर प्रसाद (पुत्र), रूखमा देवी (पुत्री), राजू देवी (पुत्री), धापू देवी (पुत्री) है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी वारिसान को एक कॉमन नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया। जिस पर इन्द्रदास पुत्र मोड़दास साध का एक पुत्र बंशीलाल ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। शेष पक्षकरान की तामील संबंधी कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक पक्षकार की उपस्थित दर्शाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान के हित समान है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे समस्त पक्षकारान को अलग–अलग नोटिस प्रेषित कर उनकी तामील जरिये रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा करवाते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक पक्षकार की उपस्थित अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश समस्त पक्षकारो की सम्यक तामील व उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया जाना प्रतीत होता है। यद्यपि अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गुणावगुण पर सही पारित किया गया है परन्तु खातेदारी अधिकार प्रत्याहारित करने से पूर्व समस्त संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप भी है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि आवंटी के समस्त वारिसान व राज्य पक्ष को सुनवाई व सबुत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

8. निर्णय आज दिनांक 10-4-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर